प्रेस नोट
दिनाँक 12.04.2026
जनपद – संतकबीरनगर

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 132/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में अभियुक्त नाम पता अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र दिलीप निवासी पोखरनी थाना नगर जनपद बस्ती को आज दिनाँक 12.04.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि आज दिनाँक 12.04.2026 को थाना महुली पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान हरपुर के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-
अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र दिलीप निवासी पोखरनी थाना नगर जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 अदद कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री अशोक कुमार, हे0का0 आनन्द दूबे, हे0का0 शम्स तबरेज।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 232 वाहनों से 2,78,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 12.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 232 वाहनों से 2,78,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा अभियुक्त नाम पता आकाश पुत्र रामलौट निवासी छिपिया अंगद थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 12.04.2026 को चिमनिया तिराहे के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 132/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-
आकाश पुत्र रामलौट निवासी छिपिया अंगद थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
- 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

पुलिस टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री आशुतोषमणि त्रिपाठी, का0 अरूण यादव, का0 संदीप गुप्ता।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डे*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0 261/2026 धारा 64(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अफसर अली उर्फ छोटन पुत्र वसीमुद्दीन निवासी औरही थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 11.04.2026 को जिला अस्पताल मुख्य गेट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 09.04.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनाँक 11.04.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, हे0का0 हरिनारायन प्रसाद व का0 उमेश कुमार।